कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 03-05-2024

विषय:- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल ने नौकरी का विज्ञापन जारी कर धोखाधड़ी करने वाले गिरफ्तार अभियुक्तों पर गैंगेस्टर की कार्यवाही व हिस्ट्रीशीट खोले जाने के दिये निर्देश।

- **गैंगेस्टर की कार्यवाही कर अपराध से अर्जित सम्पत्ति की जायेगी जब्त**
- **सतत निगरानी हेतु अपराधियों की खोली जायेगी हिस्ट्रीशीट**
- **अपराध में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में होगी जांच**

आज दिनांक 03.05.2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल ने एस0ओ0जी0 एवं थाना शिवपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी तरीके से विभिन्न कम्पनियों के विज्ञापन जारी कर युवक-युवतियों को जॉब दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही कर अपराध के द्वारा अर्जित की गई सम्पत्ति के जब्तीकरण करने एवं भविष्य में पुन: अपराध में संलिप्त होने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत सतत निगरानी हेतु एच0एस0 (हिस्ट्रीशीट) खोले जाने एवं अपराध में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में गहराई से जांच किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।